पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या —213 / 2023

उनवान :

चेतराम पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु — 71 वर्ष निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:—1. अधिवक्ता श्री कुन्दनलाल :—वादी
2. राजपैरोकार

डिक्री

दिनांक 30/10/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 6 डी.बी.एल. जमाबंदी सम्वत् 2075 —78 खाता संख्या— 17/29 की भूमि में वादी का नाम चेतनराम पुत्र चिमना को दुरूस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड में चेतराम पुत्र चिमनाराम नाम दर्ज किये जाने का आदेष दिया जाता है, अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेषित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.14 14:37:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner